अकाउंट एग्रीगेटर संरचना

1. अकाउंट एग्रीगेटर (Account Aggregator) संरचना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर (एए) नामक डेटा मध्यस्थों को औपचारिक रूप देकर वित्तीय जानकारियों को अधिक सुलभ बनाने की एक पहल है। अकाउंट एग्रीगेटर (एए), आरबीआई द्वारा विनियमित एनबीएफसी हैं जो उपयोगकर्ता की वित्तीय जानकारी को वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) से लेकर उपभोक्ता डेटा को वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) से साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह परिक्रिया, उपयोगकर्ता की सहमति प्राप्त करने के बाद साझा किया जाता है। अकाउंट एग्रीगेटर डेटा ब्लाइंड हैं, और एफआईपी द्वारा साझा किए गए वित्तीय जानकारी को न देख सकते है और न ही संग्रहीत कर सकते हैं।

2. अकाउंट एग्रीगेटर (एए) तंत्र चार वित्तीय नियामकों – आरबीआई (RBI), आईआरडीए (IRDA), पीएफआरडीए (PFRDA) और सेबी (SEBI) द्वारा विनियमित संस्थाओं के बीच वित्तीय जानकारी को वास्तविक समय पर साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। जीएसटीएन (GSTN) को हाल ही में एए संरचना के माध्यम से जीएसटी जानकारी साझा करने के लिए एफआईपी के रूप में कार्य करने की भी अनुमति दी गई है।

3. एए को भारत में ओपन बैंकिंग लाने और लाखों ग्राहकों को डिजिटल रूप से अपने वित्तीय जानकारी को सुरक्षित और कुशल तरीके से संस्थानों के बीच में डिजिटल रूप से साझा करने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। अकाउंट एग्रीगेटर, उपयोगकर्ता को अपने व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी पर नियंत्रण देता है और उन्हें अपनी क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान (एफआईयू) से संपर्क करने में सक्षम बनाता है।

4. उपयोगकर्ता के पास जानकारी साझा करने पर पूर्ण नियंत्रण होता है जैसे कि किस बैंक खाते का विवरण साझा करना है, इसे किस समयावधि के लिए साझा करना है और तंत्र में परिभाषित विशिष्ट उद्देश्य इत्यादि भी है। उपयोगकर्ता संबंधित एए पोर्टल, जहां से सहमति अधिकृत की गई थी पर लॉग इन करके जानकारी साझा करने के लिए पहले दी गई सहमति को कभी भी बंद कर सकता है।

5. एसबीआई 30.07.2022 से अकाउंट एग्रीगेटर तंत्र से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में अपने ग्राहकों के सुविधा के लिए 05 एए (NADL, CAMS, FinVu, OneMoney & Anumati) के द्वारा सेवा प्रदान करता है।